Ashutosh Sharma
Advocate
Reg.No.-7724/2003
Ch. No.-9 & 12, Teh.-Compound
Khekra, District-Baghpat

(12)

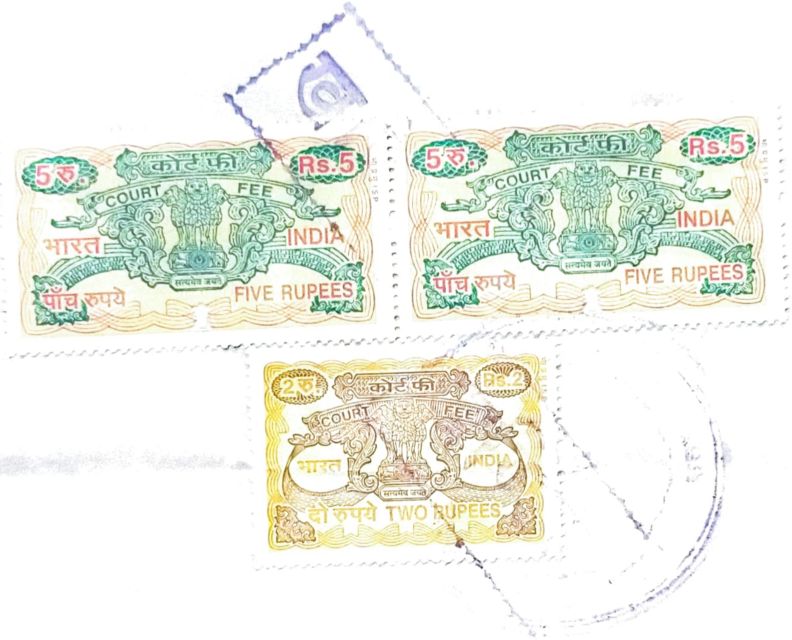

3/12 - ७

सम्मन 2032

9 सम्मन जारी/डाकिया 10-3-15

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी खेकडा

वाद संख्या T201511080 2276   धारा 143 ज0वि0अधि0

सेठ धनपाल चन्द जैन इन्फ्रास्ट्रक्चर खेकडा   भू0प्र0स0

बनाम   मौजा खेकडा प्रथम

निर्णय

सेठ धनपाल चन्द जैन इन्फ्रास्ट्रक्चर खेकडा जनपद बागपत द्वारा पार्टनर अनिल कुमार जैन व नरेश कुमार जैन पुत्र धनपाल चन्द जैन निवासी खेकडा पट्टी औरंगाबाद तहसील खेकडा जनपद बागपत द्वारा इस अनुरोध के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/वादी भूमि मौजा खेकडा प्रथम तहसील खेकडा जनपद बागपत खसरा नम्बर 2856मि रकबा 0.239है0 में से रकबा 0.2306है0 व खसरा संख्या 2858 रकबा 2.432है0 में से केवल 0.3694है0 मे उन्होने आबादी बना ली है और कृषि कार्य करना बन्द कर दिया है। परन्तु राजस्व अभिलेखो में पूर्व की भांति कृषि दर्ज चली आ रही है और लगान भी अंकित है। इस कृषि के दर्ज रहने से प्रार्थी की असीम हानि हो रही है। न्यायहित में उक्त भूमि की नौयत बदली जाकर आबादी दर्ज की जावे तथा लगान भी समाप्त किया जाना न्यायोचित है। अन्त में प्रार्थना की गई है कि उक्त भूमि की नौयत बदली जाकर आबादी दर्ज की जाये तथा लगान भी समाप्त किया जाये।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार खेकडा से जॉच आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार खेकडा ने अपनी जॉच आख्या दिनॉक 09.03.2015 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत भूमि मे कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन का कार्य नहीं हो रहा है। भूमि का उपयोग अकृषिक है। उ0प्र0ज0वि0 अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

उक्त वाद दिनॉक 10.03.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेकडा की आख्या दिनॉक 09.03.2015 एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार खेकडा द्वारा अपनी आख्या दिनॉक 09.03.2015 मे स्पष्ट अंकित किया है कि प्रश्नगत भूमि का उनके द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत भूमि मे कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन का कार्य नहीं हो रहा है। भूमि का उपयोग अकृषिक है। उ0प्र0ज0वि0 अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति तहसीलदार खेकडा द्वारा की गयी है। ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि को अकृषिक किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम खेकडा प्रथम की खतौनी फसली वर्ष 1419-1424 के खाता संख्या 00661 खसरा संख्या 2858 क्षेत्रफल 2.4320है0 में से केवल 0.3694है0 स्थित मौजा खेकडा प्रथम एवं खसरा संख्या 2856मि रकबा 0.2390 कुल क्षेत्रफल 0.6084है0 लगान मालाना रू0 31.00 तहसील खेकडा जनपद बागपत के खातेदार सेठ धनपाल चन्द जैन इन्फ्रास्ट्रक्चर खेकडा जनपद बागपत द्वारा पार्टनर श्री अनिल कुमार जैन नरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री धनपाल चन्द जैन निवासी कस्बा खेकडा तहसील खेकडा जनपद बागपत की भूमि क्षेत्रफल 0.3694है0 एवं 0.2390है0 कुल क्षेत्रफल 0.6084है0 को अकृषिक घोषित किया जाता है तथा इस भूमि से सम्बंधित मालगुजारी रूपये 31.00 समाप्त की जाती है। तदनुसार खतौनी मे प्रविष्टि हेतु परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति सब रजिस्ट्रार खेकडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

दिनॉक 10.03.2015

उपजिलाधिकारी
खेकडा